फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2023/229

बअनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली बनाम प्रेम कंवर वगैरा

अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
10/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील अप्रार्थी श्री हनुमान सिंह चौहान की दलील है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बरावल पटवार हल्का दूदनी के खसरा न. 175/194 रकबा 0.25 हैक्टर का पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के तहत पंजिबद्व है तथा उक्त भूमि पर केमपिंग साइट की स्थापना की गई है। उक्त प्रोजेक्ट का अनुमोदन f8[6] पर कार्यवाही 2023(802) दिनांक 20.9.2023 में पंजीबद्व है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान सरकार की भावना के अनुरूप उक्त क्षेत्र का विकास किया गया है। अप्रार्थीगण ने किसी नियम का उल्लंघन नही किया है तथा जो निर्माण किया है, वह निर्माण अस्थाई है। इस योजना के तहत अपार्थीगण का पंजीकरण प्रमाण पत्र वर्तमान में दिनांक 13.06.2024 से 12.06.2026 तक वैध है जिससे प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप किये जाने की दलील दी। इसके विपरित प्रार्थी पेरोकार सरकार की दलील है कि वादग्रस्त भूमि अधिकार अभिलेखों में कृषि भूमि है तथा इस भूमि में मौके पर चार टैन्ट है तथा होटल varawal leopard camp मौके पर संचालित होने से राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन होने से कार्यवाही की गई है। अतः वादग्रस्त भूमि को सिवायचक घोषित किये जाने की दलील दी। उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बरावल पटवार हल्का दूदनी स्थित भूमि खसरा न. 175/194 रकबा 0.25 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ पर्यटन विभाग की अधिसुचना प्रस्तुत की गई है परन्तु भुमि कृषि से अकृषि प्रयोजन रूपान्तरण होने का कोई प्रमाण पेश नही किया है एवं पटवारी हल्का दूदनी व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार मौके पर भूमि का होटल प्रयोजन उपयोग हो रहा है, जो राजस्थान क्राश्तकारी अधिनियम की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन होना साबित है जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है वादग्रस्त भूमि ग्राम बरावल पंटवार हल्का दूदनी के खसरा न. 175/194 रकबा 0.25 हैक्टर को राजकीय सिवायचक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश प्रति तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का दूदनी को पालनार्थ भिजवाई जायें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन न् उपखण्ड अधिकारी बाली	